सिफारिशों का सार

निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में लगे निर्धारितियों के कर आधार के संदर्भ में

❖ सीबीडीटी विचार करे

क. निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों/अनुसंधान संस्थाओं, डाग्नोस्टिक सेन्टरों, पैथलोजिकल लैबों, चिकित्सा आपूर्ति भण्डारों इत्यादि के पंजीकरण के समय पैन का विवरण अनिवार्य रूप से देने के लिए उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से पंजीकरण निकायों एजेंसियों को अनुरोध करना;

{पैरा 2.11(i)क}

ख. अपने कर आधार को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पंजीकृत मेडिकल व्यवसायियों और गैर-फाइलर/स्टॉप फाइलर निजी कम्पनियों का पता लगाने के लिए अपने मौजूदा तन्त्र में सुधार करना;

{पैरा 2.11 (i)ख}

ग. स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित निर्धारितियों के कर आधार को मजबूत करने के लिए सर्वेक्षण प्रचालनों को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करना;

{पैरा 2.11 (i)ग}

घ. स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों को विशिष्ट कोडिफीकेशन आबंटित करना जो वर्तमान में विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र (उदाहरणार्थ-चिकित्सा क्लिनिकों, डाग्नोस्टिक सेन्टर, पैथलोजिकल लैबों और अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेन्सियों/भण्डारों) के मौजूदा कोडो के अन्तर्गत वर्तमान में कवर नहीं किये गये हैं।

{पैरा 2.11 (i)घ}

ङ. एनएमएस मोड्यूल में क्षेत्र-विशिष्ट डाटा बनाने के लिए प्रावधान प्रारंभ करना।

{पैरा 2.11 (ii)ङ}

- ❖ सीबीडीटी विशेष रूप से उच्च जोखिम क्षेत्र के धर्मार्थ न्यास अस्पतालों के संबंध में कम्प्यूटर समर्थित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) में बनाए गए मानदंड की समीक्षा करे।

{पैरा 2.11 (ii)}

निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के संदर्भ में

- ❖ सीबीडीटी आयकर अधिनियम के तहत छूट देने के लिए एक पूर्व-शर्त के तौर पर निजी अस्पताल ट्रस्टों द्वारा उपक्रमित धर्मार्थ कार्यों के निर्धारण के लिए परिमेय मापदंडों के निर्धारण पर विचार और यदि आवश्यक हो, इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में सुधार करे।

{पैरा 3.5(i)}

- ❖ सीबीडीटी उन मामलों में जहां भूमि का मूल्य भवन के मूल्य से अलग से निधार्य नहीं है आयकर अधिनियम की धारा 35एडी के तहत कटौती की स्वीकार्यता के लिए भूमि का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए पर स्पष्टीकरण दे।

{पैरा 3.5(ii)}

- ❖ एक निश्चित सीमा के ऊपर सीबीडीटी 80जी प्रमाणपत्रों के स्वचालित उत्पत्ति को प्रारंभ करने की सम्भावना पर विचार करे।

{पैरा 3.5(iii)}

अनुपालन मामलों के संदर्भ में

- ❖ सीबीडीटी ऐसी अनीतिकर पद्धतियों के विरूद्ध अतिरिक्त निवारण सृजित करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 37 के अंतर्गत स्पष्टीकरण के दायरे के अंदर सभी प्रकार के मुफ्त उपहारों और चिकित्सा व्यवसायियों को अदा की गई संदर्भ फीस के साथ-साथ विज्ञापन और व्यापार बढोतरी व्यय के संबंध में व्यय की अस्वीकृति के लिए स्पष्टीकरण जारी करे।

{पैरा 4.13}